Government of India
Ministry of Railways
(Railway Board)

RBE No. 94/2004

No.E(MPP)2002/13/2 New Delhi, dated 27.04.04

The General Manager,
All Indian Railways/Pus
CORE/Allahabad
Metro Railway/Kolkata.
COFMOW/New Delhi.
The Director General,
RDSO/Lucknow.

The Director General,
RSC/BRC

The Director
IRIMEE/Jamalpur
IRIEEN/Nasik
IRICEN/Pune
IRISET/Secunderabad

Sub:- Monetary incentive in the form of Training Allowance to faculty members deputed to Group 'C'& 'D' Training Centres.

Board has been considering issues raised by various Railways for grant of incentives to instructors whether gazetted or non-gazetted who are posted to various training institutes/centres catering to the training needs of non-gazetted staff. The issues raised vis-à-vis Board's decision are as under:-

Issues raised by the Railways	Board's decision
(a) Instructors if selected from the same grade may be given additional increment and training allowance.	Instructors selected in the same grade should not be allowed additional increment, as this does not amount to fixing of pay. The instructors are allowed Training Allowance wherever admissible.
(b) Instructor selected from the lower grade with higher educational qualifications may be given grade as well as training allowance.	In terms of Board's letter No.E(S)I-56CPC/194 dt. 18.10.58 staff either one grade lower or 2 grades lower than the scale allotted to the post of instructor can be considered for posting. This has to be used sparingly in case willing, suitable instructors are not available in the same grade. Since an individual gets this benefit, he cannot be granted training allowance. An instructor cannot avail both the benefits at a time. Further, while being repatriated the individual cannot claim the higher grade in his parent cadre.

(c) On promotion the instructor has to go back to his parent cadre since there is no vacancy in the higher grade or there is no higher post available.	If there is no higher grade vacancy to accommodate the Instructor on promotion, the element of the higher grade post may be transferred from the parent Railway so that the Instructor may continue in the Training Institute till the completion of his tenure, subject to the condition that the principal of the training centre/institute recommends the retention of the instructor till the completion of his/her tenure.
(d) Staff from other divisions is reluctant to opt as an instructor since no quarter facilities are earmarked. Adequate number of pooled accommodation is required	Vide Board's letter No.E(G)98QR1-10 dt. 2.6.2003(RBE No.89/2003), instructions have been issued that faculty members may be permitted to retain Railway quarters at the previous place of posting for a maximum period of 2 years from the date of relief on payment of normal rent/flat rate of licence fee.

Apart from above, it has also been decided that when an instructor is to be repatriated back to parent railway after completion of his tenure, he may be allowed to give 2 options of his/her choice of posting and the same should be considered as far as possible.

This has the approval of the associate finance of the Ministry of Railways.

(P. Ananth)
Director(MPP)
Railway Board.

No.E(MPP)2002/13/2

New Delhi, dated27.04.04

Copy to:-

1. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi for information with 35 spares.
2. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi for information with 35 spares.
3. The Secretary General, FROA, R.No.256-A, Rail Bhawan, New Delhi for information with 5 spares.
4. The Secretary General, IRPOF, R.No.268, Rail Bhawan, New Delhi for information with 5 spares.

5. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi(90 spares)
6. The General Secretary, All Indian RPF Association, Room No.256, Rail Bhawan, New Delhi-110 001 for information with 5 spares.

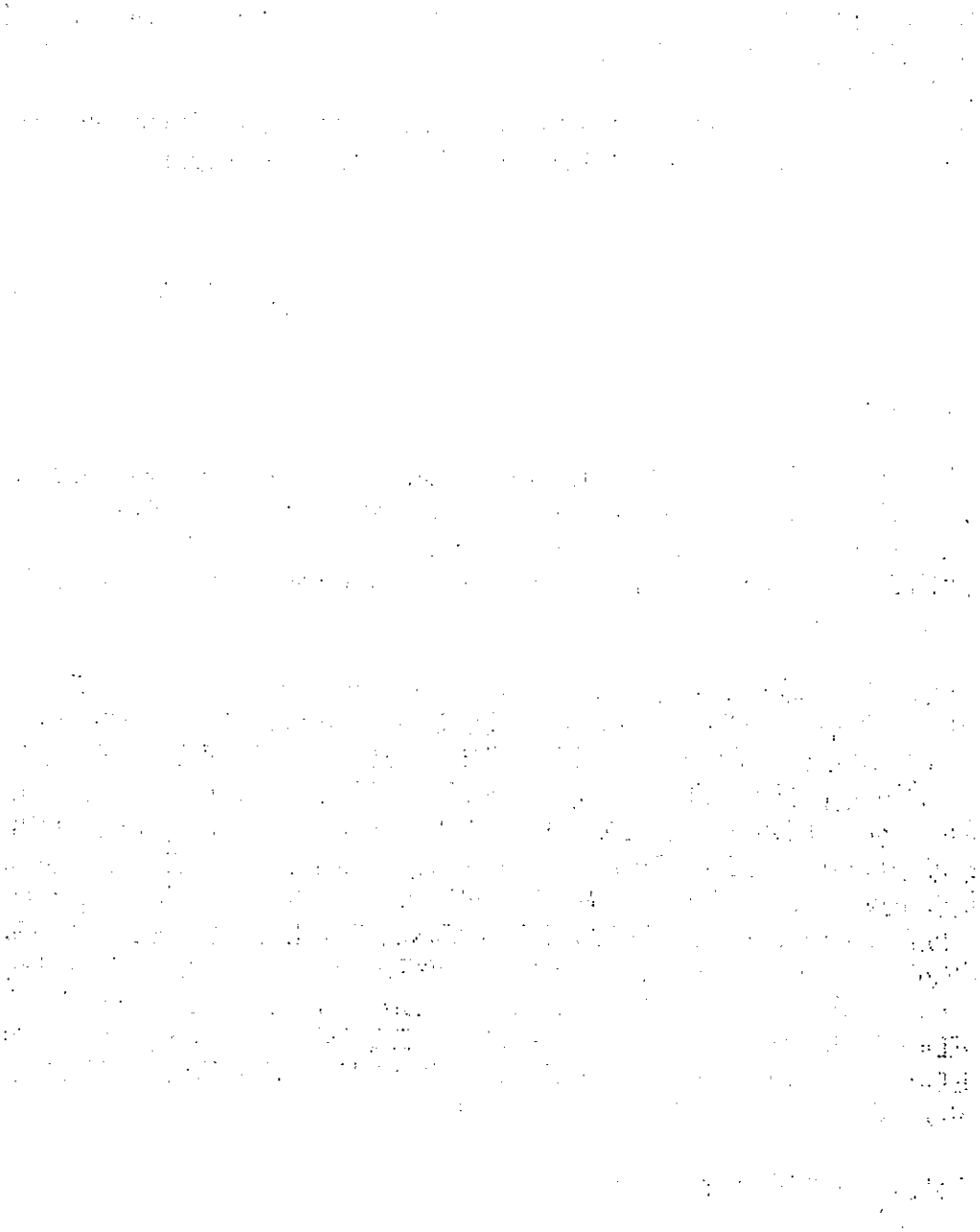
For Secretary/Railway Board.

Copy to:-

CRB, FC, ML, ME, MM, MS, MT, DG(RHS), DG(RPF),AM(Budget), AM(CE), AM(C&IS), AM(Comml.), AM(Elect.), AM(Fin.), AM(Mech.), AM(Plg.), AM(Project), AM(PU), AM(Sig.), AM(Staff), AM(Rly. Stores), AM(T&C), AM(Telecom.), AM(Tfc.), AM(Works), Adv(Vig.), Adv. Fin(Exp), Adv.(IR), LA , OSD(MIS)

ED(plg.), ED(Accts.), ED Fin.(BC), EDCE(B&S), EDCE(G), EDCE(Plg.), ED(Coaching), ED(CC), ED(C&IS), ED(E&R), EDEE(Dev.), EDEE(G), EDEE(RS), EDE, ED(RRB), EDE(N), EDE(Res.), EDF, EDF(C), EDF(S), EDF(B), EDF(RM), EDF(X)I, EDF(X)II, ED(H), EDLM, ED(MIS), EDE(GC), ED(Trg.&MPP), EDME(Chg), EDME(Fr.), EDME(Tr.), EDME(TOT),EDME(Dev.), EDME(W), ED(PC)I, ED(PC)II, ED(Plg.), ED(PP), ED(Projects), ED(Projects)/DMRC, ED(RE), EDRE(S&T), EDRE(S), ED(Safety), JS, JS(C), JS(E), JS(G), JS(P), IG/RPF(Hqs), IG/RS, ED(Sig), ED(Stat&Eco), EDRS(C), EDRS(G), EDRS(P), EDRS(S), EDRS(W), ED(TD), EDT(M), EDT(MC),EDT(P), ED(T&C), ED(CP), ED(PM), ED(PG), EDTC(R), EDTC(FM), EDTT(F), EDTT(FM)EDTT(M), EDTT(S), EDV(A), EDV(E), EDV(T),ED(W) .

E(Trg.), E(NG)I, E(NG)II, E(G).



भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आर बी ई सं.94/2004

सं. ई (एम पी पी)2002/13/2

नई दिल्ली, दिनांक : 27.5.04

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां
कोर/इलाहाबाद
मेट्रो रेलवे/कोलकाता
कॉफमो/नई दिल्ली
महानिदेशक,
अ.अ.मा.सं./लखनऊ

महानिदेशक,
रेलवे स्टाफ कालेज/वडोदरा

निदेशक,
इरीमी/जमालपुर
ईरीन/नासिक
इरीसेन/पूणे
इरीसेट/सिकंदराबाद

विषय : ग्रुप 'सी' और 'डी' प्रशिक्षण केन्द्रों में तैनात संकाय सदस्यों को प्रशिक्षण भत्ते के रूप में आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करना.

बोर्ड ने उन अनुदेशकों, चाहे वे राजपत्रित हो अथवा अराजपत्रित, जिन्हें अराजपत्रित कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों/केन्द्रों में तैनात किया जाता है, को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विभिन्न रेलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया गया है. उठाए गए मुद्दों के सामने बोर्ड का निर्णय निम्नानुसार है:

रेलों द्वारा उठाए गए मुद्दे	बोर्ड का निर्णय
(क) अनुदेशक, यदि समान ग्रेड से चुने गए हैं तो उन्हें अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा प्रशिक्षण भत्ता दिया जाए.	समान ग्रेड से चुने गए अनुदेशकों को अतिरिक्त वेतनवृद्धि नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि यह वेतन निर्धारण के लिए नहीं है. जहां कहीं भी स्वीकार्य हो अनुदेशकों को प्रशिक्षण भत्ता दिया जाता है.
(ख) निम्न ग्रेड से चुने गए अनुदेशकों, जिनके पास उच्च शैक्षिक योग्यताएं है, को प्रशिक्षण भत्ते के साथ-साथ ग्रेड दिया जाए.	बोर्ड के 18.10.58 के पत्र सं. ई (एस)I-56 सी पी सी/194 के अनुसार, वे कर्मचारी जो अनुदेशक के पद के लिए आबंटित वेतनमान से चाहे एक ग्रेड नीचे हो अथवा 2 ग्रेड नीचे उन्हें तैनाती के लिए विचार किया जा सकता है. यदि उसी ग्रेड में इच्छुक, उपयुक्त अनुदेशक प्राप्त नहीं होते है तो उस मामले में कभी-

	कभी इस व्यवस्था का इस्तेमाल करना पड़ता है. चूंकि यह लाभ वह व्यक्ति प्राप्त करता है इसलिए उसे प्रशिक्षण भत्ता प्रदान नहीं दिया जा सकता है. कोई भी अनुदेशक एक समय में दोनो लाभ प्राप्त नहीं कर सकता. इसके अलावा, उस व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किए जाने पर वह अपने मूल संवर्ग में उच्च ग्रेड का दावा नहीं कर सकता.
(ग) अनुदेशक की पदोन्नति होने पर उसे अपने मूल संवर्ग में वापस आना पड़ता है क्योंकि वहां उच्च ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं होती अथवा वहां कोई उच्च पद उपलब्ध नहीं है.	यदि पदोन्नति होने पर अनुदेशक को तैनात करने के लिए उच्च ग्रेड में कोई रिक्ति नहीं है तो उच्च ग्रेड पद के तत्व को मूल रेलवे से अंतरित किया जा सकता है ताकि वह अनुदेशक अपनी कार्य अवधि के पूरा होने तक उस प्रशिक्षण संस्थान में बना रह सके बशर्ते कि उस प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान का प्रधानाचार्य उसकी कार्य अवधि के पूरा होने तक उस अनुदेशक को रोके रखने की सिफारिश करे.
(घ) अन्य विभागों के कर्मचारी अनुदेशक के रूप में विकल्प देने के अनिच्छुक है क्योंकि उनके लिए क्वार्टर सुविधा निर्धारित नहीं है. पर्याप्त संख्या में पूल वाले आवास अपेक्षित है.	बोर्ड के 2.6.2003 के पत्र सं. ई (जी)98 क्यू आर 1-10 (आर बी ई सं. 89/2003) के द्वारा अनुदेश जारी किए गए है कि संकाय सदस्यों को साधारण किराए/लाइसेंस फीस की फ्लैट दर का भुगतान करने पर इस रिलीफ की तारीख से अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए तैनाती के पिछले स्थान पर रेलवे क्वार्टर रखने की अनुमति दी जा सकती है.

उपर्युक्त के अलावा, यह भी विनिश्चय किया गया है कि जब किसी अनुदेशक को उसकी कार्य अवधि के पूरा होने के बाद मूल रेलवे में वापस प्रत्यावर्तित किया जाना होता है तो उसे तैनाती की उसकी पंसद के 2 विकल्प देने की अनुमति दी जाए और उन पर यथा संभव विचार किया जाए.

इसे रेल मंत्रालय के सह-वित्त के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है.

26/04/04

(पी.अनंत)
निदेशक, (जनशक्ति योजना)
रेलवे बोर्ड

सं. ई (एम पी पी)2002/13/2 नई दिल्ली, दिनांक : 27.4.04

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. महासचिव, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
2. महासचिव, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली को सूचनार्थ 35 अतिरिक्त प्रतियों सहित
3. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
4. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ 5 अतिरिक्त प्रतियों सहित
5. विभागीय परिषद एवं राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य एवं सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (90 अतिरिक्त प्रतियां)
6. महासचिव, अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा बल संघ, कमरा नं. 256, रेल भवन, नई दिल्ली-110 001 को सूचनार्थ 5 अतिरिवत प्रतियों सहित

कृते सचिव/रेलवे बोर्ड